ज अदालत सहायक कलक्टर ...

पृथ्वीसिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 82/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/470

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा खारीजोधा में खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 1/377 रकबा 2.1529 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 284/1 रकबा 0.6394 हैक्टेयर एवं मौजा गुमानपुरा के खाता संख्या 35 के खसरा नम्बर 104 रकबा 1.5621 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा खारीजोधा में खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 1/377 रकबा 2.1529 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 284/1 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार क़ाश्तकार का नाम पीथाराम पुत्र पाबुदानसिंह हिस्सा 1/3 जाति दरोगा सा. देह खातेदार के स्थान पर पृथ्वीसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हिस्सा 1/3 जाति दरोगा सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जाता है एवं मौजा गुमानपुरा के खाता संख्या 35 के खसरा नम्बर 104 रकबा 1.5621 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम पीथाराम पुत्र पाबूराम हिस्सा 1/2 जाति दरोगा सा. खारी खातेदार के स्थान पर पृथ्वीसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हिस्सा 1/2 जाति दरोगा सा. खारी खातेदार दुरस्त किया जाता है।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।
यह आदेश आज दिनांक 31/5/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner